



ANIMAL WELFARE BOARD OF INDIA

Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Govt. of India
(Department of Animal Husbandry and Dairying)
NIAW Campus, 42 Mile Stone, Delhi-Agra Highway
NH-2, Ballabgarh, Haryana-121004
Email: animalwelfareboard@gmail.com : Website: www.awbi.in

No.9-14/2020-2021-PCA/88

Dt. 29.10.2020

To
The District Magistrate
Udham sing Nagar, Uttrankhand
Email :-dm-usn-ua@nic.in

Sir,

Sub: Alleged complaint regarding cruelty against horse in Sitarganj Nagarpalika, Udham singh Nagar U.K. - Reg

Ref.: E-mail dated 28.10. 2020 received from Shri Yogendra Kumar.

With reference to the above cited subject, it is stated that the Board has received an e-mail from Shri Yogendra Kumar stating that a stray Horse struggling with chronic cancer is being given substandard food and tied in dirty places by the Sitaraganj Nagarpalika . They are also not cooperating with doctors during treatments of horse . A copy of the e-mail is forwarded for your kind perusal and further directions.

Cruelty to animals is an offense under Section 3 and Section 11(1) of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 & its Rules.

The Hon'ble Supreme Court had directed to take action against the erring officials as per the Para 77 of the S.L.P.No.(C) 11686 of 2007, Animal Welfare Board of India Vs A.Nagaraja & Others and the department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension had issued guidelines vide F.No.30/9/2006-Welfare dated 26.5.2006 to take action against such personnel violating the laws. The copies of the same is attached herewith for your information.

In view of the above, it is requested to conduct an enquiry on the above complaint and take action against the offenders as per.

Forward action taken report to the Board immediately tp take further necessary action.

"Please treat this as most urgent".

Yours sincerely,

(Dr.S.K.Dutta)
Secretary

Copy to: for information and further appropriate action.

1. The Director, Dept of Animal Husbandry, Dehradun (Uttrakhand)
Email:- dirahuk@gov.in

2. The Superintendent of Police, Udham Singh Nagar, Email:-ssp-usn-ua@nic.in
3. The Officer- Incharge, UK-AWB, Dehradun. Email:-uttrakhandawb@gmail.com
4. Shri Yogendra Kumar Sudarshan News Email:- alalnandayogi1971@gmail.com



Legal Assistant awbi <legalassistantawbi@gmail.com>

Fwd: नगरपालिका सितारगंज में इलाज करा रहे गंभीर रूप से कैसर से पीड़ित घोड़े के प्रति नगरपालिका सितारगंज की घोर उदासीनता और लापरवाही के सम्बन्ध में.)

2 messages

Animal Welfare Board of India <animalwelfareboard@gmail.com>
To: legalassistantawbi@gmail.com

29 October 2020 at 11:25

Thanks & Regards,
Animal Welfare Board of India (AWBI)
Department of Animal Husbandry and Dairying
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Govt. of India

www.awbi.in

----- Forwarded message -----

From: **Yogendra Kumar** <alalnandayogi1971@gmail.com>

Date: Thu, Oct 29, 2020 at 12:17 AM

Subject: Fwd: नगरपालिका सितारगंज में इलाज करा रहे गंभीर रूप से कैसर से पीड़ित घोड़े के प्रति नगरपालिका सितारगंज की घोर उदासीनता और लापरवाही के सम्बन्ध में.)

To: <animalwelfareboard@gmail.com>

----- Forwarded message -----

From: **Yogendra Kumar** <alalnandayogi1971@gmail.com>

Date: Thu, Oct 29, 2020 at 12:16 AM

Subject: Fwd: नगरपालिका सितारगंज में इलाज करा रहे गंभीर रूप से कैसर से पीड़ित घोड़े के प्रति नगरपालिका सितारगंज की घोर उदासीनता और लापरवाही के सम्बन्ध में.)

To: <cvousn@gmail.com>

----- Forwarded message -----

From: **Yogendra Kumar** <alalnandayogi1971@gmail.com>

Date: Thu, Oct 29, 2020 at 12:15 AM

Subject: Fwd: नगरपालिका सितारगंज में इलाज करा रहे गंभीर रूप से कैसर से पीड़ित घोड़े के प्रति नगरपालिका सितारगंज की घोर उदासीनता और लापरवाही के सम्बन्ध में.)

To: <dm-usn-ua@nic.in>

----- Forwarded message -----

From: **Yogendra Kumar** <alalnandayogi1971@gmail.com>

Date: Thu, Oct 29, 2020 at 12:10 AM

Subject: नगरपालिका सितारगंज में इलाज करा रहे गंभीर रूप से कैसर से पीड़ित घोड़े के प्रति नगरपालिका सितारगंज की घोर उदासीनता और लापरवाही के सम्बन्ध में.)

To: Yogendra Kumar <alalnandayogi1971@gmail.com>

सितारगंज, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड.

दिनांक: २९/१०/२०२०

सेवा में,

उपजिलाधिकारी सितारगंज, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड.

विष् (नगरपालिका सितारगंज में इलाज करा रहे गंभीर रूप से कैसर से पीड़ित घोड़े के प्रति नगरपालिका सितारगंज की घोर उदासीनता और लापरवाही के सम्बन्ध में.)

महोदय/महोदया,

निवेदन है कि नगरपालिका सितारगंज की देखरेख में एक लाबारिस घोड़ा जो गंभीर रूप से पिनाइल कैसर से पीड़ित है, 10/10/2020 से नगरपालिका सितारगंज में बंधा हुआ है. इस घोड़े का इलाज सितारगंज के पशु चिकित्साधिकारी डॉक्टर जीतेन्द्र कुमार कर रहे हैं. इस घोड़े के इलाज में डॉक्टर जीतेन्द्र कुमार पंतनगर वेटेरिनरी कॉलेज के डॉक्टर से विचार विमर्श करके कर रहे हैं. इलाज कर रहे डॉक्टर के अनुसार घोड़े की वीमारी धीरे धीरे ठीक हो रही है. यदि इस घोड़े की देख भाल सही ढंग से की जाय तो यह पूरी तरह ठीक हो सकता है. क्योंकि ये घोड़ा बीते लगभग पांच महीनों से अपनी गंभीर वीमारी को लिए सितारगंज की सड़को पर घूम रहा था लेकिन नगरपालिका सितारगंज ने इस घोड़े पर कोई ध्यान नहीं दिया जिसके कारण इसकी बीमारी ने गंभीर रूप ले लिया. अब जबकि इस घोड़े का इलाज नगरपालिका सितारगंज में चल रहा है, तो नगरपालिका सितारगंज की गहन लापरवाही सामने आयी है. (1) नगरपालिका सितारगंज के कर्मचारी इसके इलाज में डॉक्टर को सहयोग नहीं करते हैं. (2) इस घोड़े को कई बार गन्दी तथा प्रदूषित जगह में बंधे देखा गया है. इसी गन्दी जगह पर घोड़ा बैठ जाता है तो इसके घाव में इन्फेक्शन हो जाता है. प्रदूषित जगह में बांधा होने के कारण इसके घाव पर हजारों की संख्या में मक्खियां बैठ जाती है जिससे इसके घाव में बार बार कीड़े पड़ जाते हैं जिससे इसके ठीक होने की प्रक्रिया लम्बी होती जा रही है.

प्रार्थी ने इस सम्बंद में एस डी एम सितारगंज, तहसीलदार सितारगंज, मुख्या पशु चिकित्साधिकारी जिला ऊधम सिंह नगर तथा नगरपालिकाधिकारी सितारगंज से बात की है लेकिन स्थिति जस की तस है और घोड़े को नगरपालिका सितारगंज द्वारा आज भी गन्दी जगह में बांधा जा रहा है. यदि घोड़े की देख रेख में नगरपालिका सितारगंज द्वारा इसी प्रकार की लापरवाही बरती जाती रही तो इस घोड़े की मृत्यु भी हो सकती है. क्योंकि घोड़ा लाबारिस है और नगरपालिका क्षेत्र सितारगंज में बीते कई महीनों से मारा मारा फिर रहा था, तो इस घोड़े का इलाज कराना और इसकी देखभाल करना नगरपालिका सितारगंज की जिम्मेदारी हो जाती है.

अतः महोदय/महोदया से निवेदन है की घोड़े की वस्तुस्थिति की जांच कर घोड़े के समुचित रख रखाव और इलाज में सहयोग हेतु नगरपालिका सितारगंज को निर्देशित करने की कृपा करें ताकि घोड़ा शीघ्र ठीक हो सके.

सधन्यबाद,

योगेंद्र कुमार, रिपोर्टर सुदर्शन न्यूज चैनल
मोबाइल नं. (8218072632)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुहानार्थ एवं आवश्यक कार्यबाही हेतु प्रेषित.

- (1) माननीय जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड.
- (2) माननीय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड.
- (3) एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ़ इंडिया.
- (4) पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ़ एनिमल्स (पेटा) इंडिया

4 attachments




20201028_122422.jpg
2615K



20201025_165902.jpg
2821K

20201021_162411.jpg
3169K



20201025_165904.jpg
3584K

Animal Welfare Board of India <animalwelfareboard@gmail.com>
To: Yogendra Kumar <alaknandayogi1971@gmail.com>
Bcc: legalassistantawbi@gmail.com

29 October 2020 at 11:31

Sir,

We acknowledge the receipt of your email.

In this regard, a copy of the extract of para 77 of the order dated 7.5.2014, Animal Welfare Board of India Vs A. Nagaraja & Ors is attached herewith for your information.

Thanks & Regards,
Animal Welfare Board of India (AWBI)
Department of Animal Husbandry and Dairying
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Govt. of India

www.awbi.in

[Quoted text hidden]

2 attachments

 **Extracts of Para 77 of Supreme Court order dated 7.5.14 .docx**
13K

 **SC Judgement on Jallikattu_7 May 2014.pdf**
308K